

## **Information sheet for LAR (Cases)**

### **Name of Investigators**

1. Dr. Chittaranjan Behera

Tel 9968320486

**Title of the study:** Building Resources for the Diversification of Genetic Data on Suicide Death

### **What is the study about?**

This is a collaborative study aimed to find out genetic etiology in suicide in India. Approx 5ml (two teaspoonful) of blood, 3ml of urine and tissue size of 1x1 cm from hippocampus, prefrontal cortex, cerebellum, occiput and amygdala region of brain will be taken during postmortem for genetic and epigenetic analysis. The rough deidentified data will be shared with researcher in USA.

The study also aimed to know the suicidal behavior of the deceased by personal interview of near relatives and examination of suicide note, treatment papers if available in completed suicide cases.

This study will help in planning and analysis of various suicides prevention programs in world including India.

### **What happens if you participate? How long you have to participate?**

For this study, blood and brain tissue samples from the deceased will be taken during the post-mortem examination. Your interview on behalf of deceased will be taken on the day of post-mortem examination. Only history relevant to the study will be taken. The interview will be taken only once and your participation will end with this. By participating in this study, you will be helping in formulating a relationship between gene and suicide. This study will no way hamper medico-legal interest of the case.

### **Why you need to be interviewed? What you have to do?**

Your interview on behalf of deceased is necessary to have all the details of the deceased which sometimes are not available with police inquest papers. Sometimes police omit some details which they think legally irrelevant but may be important for the study. Your interview on behalf

of the deceased will be taken on the day of post-mortem and you will have to give history relevant to the study only. Post-mortem blood and brain tissue will be analyzed in the laboratory and only study-relevant facts will be considered.

**Is there any benefit to the deceased or to the general public?**

With the participation of the persons like you on behalf of deceased, the study will help in identification of persons with high risk suicide behavior. This study may be helpful in prevention of suicide.

**Is there any risk to you/ the deceased, if you associate with the study?**

During interview, you have to disclose only the facts related to the study and your information will be kept confidential. Post-mortem blood and brain tissue will be analyzed in the laboratory for genetic pattern and only relevant facts will be taken into consideration. This study will no way hamper medico-legal interest of the case. As such, there is no risk to you or to your family.

**Will the information remain confidential?**

All the information disclosed during this study will remain confidential.

**What if you do not join the study?**

Your participation on behalf of deceased in the study is entirely voluntary. You are free not to join the study. Even if you do not join this study, it will not jeopardize the medico-legal issue of the case.

## एलएआर सूचित पत्र (एलएआर आईएस)

( प्रचलभागी)

### अन्वेषक के नाम

डॉ. चित्तरंजन बेहेरा

9968320486

अध्ययन का शीर्षक: आत्महत्या मृत्यु पर आनुवंशिक डेटा के विविधीकरण के लिए संसाधनों का निर्माण

### यह अध्ययन किस बारे में है?

यह एक सहयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य भारत में आत्महत्या में आनुवंशिक कारणों का पता लगाना है। पोस्टमार्टम के दौरान आनुवंशिक और एपिजेनेटिक विश्लेषण के लिए लगभग 5ml (दो चम्मच) रक्त, 3ml मूत्र और मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, ऑक्सीपिट और एमिग्डाला क्षेत्र से 1x1 सेमी का ऊतक लिया जाएगा। मोटे तौर पर पहचान रहित डेटा अमेरिका के शोधकर्ता के साथ साझा किया जाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य मृतक के आत्मघाती व्यवहार को जानना भी है, इसके लिए निकट संबंधियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार और आत्महत्या नोट, उपलब्ध होने पर उपचार कागजात का परीक्षण किया जाएगा।

यह अध्ययन दुनिया सहित भारत में विभिन्न आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रमों की योजना बनाने और विश्लेषण में मदद करेगा।

### यदि आप भाग लेते हैं तो क्या होता है? आपको कितने समय तक भाग लेना होगा?

इस अध्ययन के लिए, मृतक से पोस्टमार्टम परीक्षा के दौरान रक्त और मस्तिष्क ऊतक के नमूने लिए जाएंगे। मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार पोस्टमार्टम परीक्षा के दिन लिया जाएगा। केवल अध्ययन से संबंधित इतिहास लिया जाएगा। साक्षात्कार केवल एक बार लिया जाएगा और आपका भाग लेना यहीं समाप्त हो जाएगा। इस अध्ययन में भाग लेकर, आप जीन और आत्महत्या के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करेंगे। यह अध्ययन किसी भी तरह से मामले की चिकित्सकीय-वैधानिक रुचि को बाधित नहीं करेगा।

### आपका साक्षात्कार क्यों जरूरी है? आपको क्या करना होगा?

मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार आवश्यक है ताकि मृतक की सभी जानकारी प्राप्त की जा सके, जो कभी-कभी पुलिस जांच रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होती। कभी-कभी पुलिस कुछ विवरण छोड़ देती है जो उन्हें कानूनी रूप से अप्रासंगिक लगते हैं, लेकिन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार पोस्ट-मॉर्टम के दिन लिया जाएगा और आपको केवल अध्ययन से संबंधित जानकारी देनी होगी। पोस्ट-मॉर्टम रक्त और मस्तिष्क ऊतक की प्रयोगशाला में जांच की जाएगी और केवल अध्ययन से संबंधित तथ्यों पर विचार किया जाएगा।

## **क्या मृतक या आम जनता को कोई लाभ होगा?**

आप जैसे व्यक्तियों की मृतक की ओर से भागीदारी से यह अध्ययन आत्महत्या के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान में मदद करेगा। यह अध्ययन आत्महत्या की रोकथाम में सहायक हो सकता है।

## **यदि आप अध्ययन से जुड़ते हैं तो आपको/मृतक को कोई जोखिम है?**

साक्षात्कार के दौरान आपको केवल अध्ययन से संबंधित तथ्यों को साझा करना होगा और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पशु-मृत्यु रक्त और मस्तिष्क ऊतक का प्रयोगशाला में आनुवंशिक पैटर्न के लिए विश्लेषण किया जाएगा और केवल प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा। यह अध्ययन किसी भी तरह से मामले के चिकित्सक-कानूनी हित में बाधा नहीं डालेगा। इसलिए, आप या आपके परिवार के लिए कोई जोखिम नहीं है।

## **क्या जानकारी गोपनीय रहेगी?**

इस अध्ययन के दौरान जो भी जानकारी साझा की जाएगी वह पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

## **अगर आप अध्ययन में शामिल नहीं होते हैं तो क्या होगा?**

मृतक की ओर से अध्ययन में आपकी भागीदारी पूरी तरह से स्वेच्छा पर आधारित है। आप अध्ययन में शामिल न होने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही आप इस अध्ययन में शामिल न हों, यह मामले के मेडिकल-लीगल मुद्दे को खतरे में नहीं डालेगा।

## **Information sheet for LAR (Controls)**

### **Name of Investigators**

1. Dr Chittaranjan Behera

Tel 9968320486

**Title of the study:** Building Resources for the Diversification of Genetic Data on Suicide Death

### **What is the study about?**

This is a collaborative study aimed to find out genetic etiology in suicide in India. Approx 5ml (two teaspoonful) of blood, 3ml of urine and tissue size of 1x1 cm from hippocampus, prefrontal cortex, cerebellum, occiput and amygdala region of brain will be taken during postmortem for genetic and epigenetic analysis. The rough deidentified data will be shared with researcher in USA.

The study aimed to compare suicidal behavioral deaths with non-suicidal deaths. Your relative's sample will be taken to compare it with suicidal behavior subjects.

This study will help in planning and analysis of various suicides prevention programs in world including India.

### **What happens if you participate? How long you have to participate?**

For this study, blood and brain tissue samples from the deceased will be taken during the post-mortem examination. Your interview on behalf of deceased will be taken on the day of post-mortem examination. Only history relevant to the study will be taken. The interview will be taken only once and your participation will end with this. By participating in this study, you will be helping in formulating a relationship between gene and suicide. This study will no way hamper medico-legal interest of the case.

### **Why you need to be interviewed? What you have to do?**

Your interview on behalf of deceased is necessary to have all the details of the deceased which sometimes are not available with police inquest papers. Sometimes police omit some details which they think legally irrelevant but may be important for the study. Your interview on behalf of the deceased will be taken on the day of post-mortem and you will have to give history

relevant to the study only. Post-mortem blood and brain tissue will be analyzed in the laboratory and only study-relevant facts will be considered.

**Is there any benefit to the deceased or to the general public?**

With the participation of the persons like you on behalf of deceased, the study will help in identification of persons with high risk suicide behavior. This study may be helpful in prevention of suicide.

**Is there any risk to you/ the deceased, if you associate with the study?**

During interview, you have to disclose only the facts related to the study and your information will be kept confidential. Post-mortem blood and brain tissue will be analyzed in the laboratory for genetic pattern and only relevant facts will be taken into consideration. This study will no way hamper medico-legal interest of the case. As such, there is no risk to you or to your family.

**Will the information remain confidential?**

All the information disclosed during this study will remain confidential.

**What if you do not join the study?**

Your participation on behalf of deceased in the study is entirely voluntary. You are free not to join the study. Even if you do not join this study, it will not jeopardize the medico-legal issue of the case.

## एलएआर सूचित पत्र (एलएआर आईएस) (चनयोंत्रण प्रचतभागी)

### अन्वेषक के नाम

डॉ. चित्तरंजन बेहेरा

9968320486

अध्ययन का शीर्षक: **आत्महत्या मृत्यु पर आनुवंशिक डेटा के विविधीकरण के लिए संसाधनों का निर्माण**

### अध्ययन किस बारे में है?

यह एक सहयोगी अध्ययन है जिसका उद्देश्य भारत में आत्महत्या में आनुवंशिक कारणों का पता लगाना है। पोस्टमार्टम के दौरान आनुवंशिक और एपिजेनेटिक विश्लेषण के लिए लगभग 5 मि.ली. (दो चम्मच) रक्त, 3 मि.ली. मूत्र और मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस, फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, ऑक्सिपिट और एमिगडाला क्षेत्र से 1x1 सेमी का टिशू लिया जाएगा। मोटे तौर पर पहचान रहित डेटा अमेरिकी शोधकर्ता के साथ साझा किया जाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य आत्मघाती व्यवहार वाले मृतकों की तुलना गैर-आत्मघाती मृतकों से करना है। आपके सम्बंधी का नमूना लिया जाएगा ताकि इसे आत्मघाती व्यवहार वाले व्यक्तियों के साथ तुलना की जा सके।

यह अध्ययन भारत सहित विश्व में विभिन्न आत्महत्या निवारण कार्यक्रमों की योजना और विश्लेषण में मदद करेगा।

### यदि आप भाग लेते हैं तो क्या होता है? आपको कितने समय तक भाग लेना होगा?

इस अध्ययन के लिए, मृतक से पोस्टमार्टम परीक्षा के दौरान रक्त और मस्तिष्क की टिशू के नमूने लिए जाएंगे। मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार पोस्टमार्टम परीक्षा के दिन लिया जाएगा। अध्ययन से संबंधित केवल वही इतिहास लिया जाएगा जो आवश्यक होगा।

### आपका साक्षात्कार क्यों आवश्यक है? आपको क्या करना है?

मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार इसलिए आवश्यक है ताकि मृतक के सभी विवरण पता किए जा सकें, जो कभी-कभी पुलिस जांच रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होते। कभी-कभी पुलिस कुछ विवरण छोड़ देती है जिन्हें वे कानूनी दृष्टि से अप्रासंगिक समझते हैं, लेकिन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मृतक की ओर से आपका साक्षात्कार मृत्युपरांत परीक्षण के दिन लिया जाएगा और आपको केवल अध्ययन से संबंधित इतिहास देना होगा। पोस्टमार्टम का रक्त और मस्तिष्क उतक प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाएगा और केवल अध्ययन से संबंधित तथ्य ही ध्यान में रखे जाएंगे।

## **क्या मृतक या आम जनता को किसी प्रकार का लाभ होगा?**

आप जैसे व्यक्तियों की मृतक की ओर से भागीदारी के साथ, यह अध्ययन उच्च जोखिम वाले आत्महत्या व्यवहार वाले व्यक्तियों की पहचान में मदद करेगा। यह अध्ययन आत्महत्या की रोकथाम में सहायक हो सकता है।

## **क्या अध्ययन से जुड़ने पर आपको/मृतक को कोई जोखिम है?**

साक्षात्कार के दौरान, आपको केवल अध्ययन से संबंधित तथ्य ही प्रकट करने होंगे और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पोस्ट-मॉर्टम रक्त और मस्तिष्क ऊतक का प्रयोगशाला में आनुवंशिक पैटर्न के लिए विश्लेषण किया जाएगा और केवल प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। यह अध्ययन किसी भी तरह से मामले के वैधानिक हित में बाधा पैदा नहीं करेगा। इसलिए, आपके या आपके परिवार के लिए कोई खतरा नहीं है।

## **क्या जानकारी गोपनीय रहेगी?**

इस अध्ययन के दौरान प्रकट की गई सभी जानकारी गोपनीय रहेगी।

## **अगर आप अध्ययन में शामिल नहीं होते हैं तो क्या होगा?**

मृतक की ओर से अध्ययन में आपकी भागीदारी पूरी तरह से स्वेच्छा पर आधारित है। आप अध्ययन में शामिल न होने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही आप इस अध्ययन में शामिल न हों, यह मामले के मेडिकल-लीगल मुद्दे को खतरे में नहीं डालेगा।